<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैत्ल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः— 123 / 09</u> <u>संस्थापन दिनांकः—06 / 05 / 09</u> फाईलिंग नं. 233504000062009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला–बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि क्त द्ध

- 1. ढीमर पिता बिरज, उम्र 70 वर्ष
- 2. सूरज पिता ढीमर, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम लादी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 04.10.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 341, 294, 332, 506 भाग—दो भाठदंठसंठ के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16.02. 09 को रात करीब 10:45 बजे फरियादी तोपसिंह को शासय उस दिशा विशेष में जाने से निवारित किया जिसमें उसे जाने का विधिक अधिकार प्राप्त था एवं सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी तोपसिंह को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी तोपसिंह जो कि ग्राम बिच्छूखान में फारेस्ट आफिस में बीटगार्ड के पद पर होकर लोक सेवक है, की उस समय जबिक वह लोक सेवक के नाते अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी तोपसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी तोपसिंह दिनांक 16.02.09 को रात में चौकीदार रामलाल यादव को लेकर गश्त में था। रात्रि करीब 10:15 बजे ग्राम लादी में रामलाल के घर के पास उसे अभियुक्तगण मिले और उसे गश्त में जाने से रोका और मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि तूने डोडावानी के यादव की जलाउ गाड़ी पकड़ी थी, अब यादव की गाड़ी पकड़ेगा तो जान से मार डालेंगे और ढीमर ने उसे हाथ में रखे लठ से पीठ एवं बांये हाथ में मारा तथा सूरज ने लात घुसों से मारपीट किया। अभियुक्तगण ने उसे शासकीय कार्य करने में रूकावट पैदा कर मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। फरियादी द्वारा दर्ज करायी गयी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 85/09

पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी तोपसिंह को शासय उस दिशा विशेष में जाने से निवारित किया जिसमें उसे जाने का विधिक अधिकार प्राप्त था ?
- 2. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित किये थे ?
- 3. क्या अश्लील शब्दों का उच्चारण लोक स्थान अथवा उसके समीप किया गया था ?
- 4. क्या इससे उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित हुआ था ?
- 5. क्या घटना के समय अभियुक्तगण ने फरियादी तोपसिंह जो कि ग्राम बिच्छूखान में फारेस्ट आफिस में बीटगार्ड के पद पर होकर लोक सेवक है, की उस समय जबिक वह लोक सेवक के नाते अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 6. क्या अभियुक्तगण द्वारा ऐसा गंभीर व अचानक प्रकोपन से अन्यथा स्वेच्छया किया गया ?
- 7. क्या अभियुक्तगण ने फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया था ?
- 8. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

5

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 02, 03, 04 एवं 07 का निराकरण

तोपसिंह चौहान (अ.सा.-1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह

प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त ढीमर ने उसे मां बहन की गालियां दी थी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।

- 6 साक्षी तोपसिंह चौहान (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय मां बहन की गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन—किन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत वंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
- 7 अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में किसी भी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। अतः साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 506 भाग—2 भा0दं0सं0 का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 05 एवं 06 का निराकरण

- 8 तोपसिंह चौहान (अ.सा.—1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय बीट गार्ड के पद पर पदस्थ था। दिनांक 15.02.09 को उसके द्वारा ग्राम डोडावानी में एक गाड़ी पकड़ी थी जिस पर उसके द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। दिनांक 16.02.09 को उक्त गाड़ी का प्रकरण बनाया गया। उक्त दिनांक को ही रात्रि में 9 बजे वह बिच्छूखान पहुंचा। साथ में चौकीदार रामलाल भी था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि वह चौकीदार रामलाल के साथ बिच्छूखान से लादी की तरफ गश्त के लिए निकला था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि गश्ती के दौरान चौकीदार रामलाल ने कहा कि वह दो—तीन दिन से घर नहीं गया है, घर होकर आता हूं। तभी वह और चौकीदार रामलाल उसके घर पर गये, खाना खाया और खाना खाकर गश्ती के लिए निकल रहे थे तभी अभियुक्त ढीमर लाठी लेकर आया और उसे मारा जिससे उसके बांये हाथ और पीठ पर चोट आयी थी। इसी दौरान अभियुक्त सूरज भी आ गया और उसने भी उसके साथ झूमा झटकी की। चौकीदार रामलाल ने बीच बचाव किया और वह मौके से भागकर बिच्छूखान आ गया तथा घटना की रिपोर्ट थाने में दूसरे दिन की थी।
 - श्रीमती एल.डी. प्रसाद (अ.सा.—5) ने ने अपने न्यायालयीन परीक्षण

में प्रकट किया है कि वह सीएचसी आमला में स्टाफ नर्स के पद पर पदस्थ है। उसने डॉ. पी.के. चतुर्वेदी के साथ कार्य किया है और वह उनके हस्ताक्षरों से भली भांति परिचित है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि दिनांक 17.02.09 को डॉ. चतुर्वेदी ने आहत तोपसिंह चौहान का मेडिकल परीक्षण किया था जिसमें डॉ. चतुर्वेदी ने आहत के शरीर के दांहिने तरफ सीने और पीठ में दर्द पाया था। साक्षी ने डॉ. चतुर्वेदी के द्वारा तैयार मेडिकल रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) पर में डॉ. चतुर्वेदी के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

- 10 सत्यप्रकाश बाजपेयी (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसने एएसआई जी.एस. वरकले के साथ लगभग 6 महिने काम किया है और वह उनकी हस्तिलिप व हस्ताक्षर से भली भांति परिचित है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी—1), मौका नक्शा (प्रदर्श पी—5), गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 एवं प्रदर्श पी—4 जी.एस. वरकले की हस्तिलिप में है। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर जी.एस. वरकले के हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।
- वचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। फरियादी तोपसिंह के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। फरियादी ने अभियोजन कथा के अनुरूप कथन भी नहीं किये हैं। जिससे अभियोजन के मामले में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में रामलाल (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वह घटना के समय वन विभाग बिच्छूखान में चौकीदार था तथा फरियादी बीटगार्ड के पद पर पदस्थ था। साक्षी ने आगे यह बताया है कि उसके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि दिनांक 16.02.2009 को उसके घर के सामने फरियादी के साथ अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की थी। घटना दिनांक को फरियादी तोपसिंह उसे बूलाने के लिए आये थे उस समय कोई सरकारी काम नहीं कर रहे थे और न ही वो गश्ती पर थे। साक्षी ने आगे यह बताया है कि फरियादी उस समय वर्दी में भी नहीं था। स्वतः में कहा कि वर्दी दिन में पहनते हैं शाम को सिविल ड्रेस में रहते हैं। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके पिता अभियुक्त ढीमर और भाई अभियुक्त सूरज का घर उसके घर से 20 मीटर पीछे है। यदि उसके घर कोई आयेगा तो पीछे तक आवाज नहीं आयेगी। इस सुझाव को भी सही बताया है कि मौके पर लाईट नहीं थी। नत्थू (अ.सा.-3) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे

जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। स्पष्टतः उपर्युक्त साक्षीगण से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

13 प्रकरण में मात्र फरियादी तोपसिंह चौहान (अ.सा.—1) की साक्ष्य उपलब्ध है। जहां तक फरियादी की एकल असंपुष्ट साक्ष्य का प्रश्न है। इस संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 में स्पष्टतः वर्णित है कि—किसी मामले में किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए साक्षियों की कोई विशेष संख्या अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जोसेफ विरुद्ध केरल राज्य (2003) 1 एससीसी 465 के न्याय दृष्टांत में यह न्याय सिद्धांत प्रति पादित किया है कि—एकमात्र साक्षी की साक्ष्य भी यदि पूरी तरह विश्वसनीय पायी जाती है तो उस पर दोषसिद्ध स्थिर की जा सकती है, अवलोकनीय है।

तोपसिंह चौहान (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि ६ ाटना के समय वह चौकीदार रामलाल के साथ गश्ती के लिए निकला था। उसी समय अभियुक्त ढीमर आया और उसके साथ मारपीट की। तत्पश्चात अभियुक्त सूरज आया और उसने भी मारपीट की। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि दिनांक 15.02.2009 को लकड़ी पकड़ने के संबंध में जो भी प्रकरण बना था उस प्रकरण में अभियुक्तगण मुलजिम नहीं थी और न ही उनके कोई नातेदार मुलजिम थे और उक्त प्रकरण के संबंध में अभियुक्तगण से कोई वाद विवाद भी नहीं हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव को ही बताया है कि घटना स्थल के पास डिप्टी रेंजर का निवास था। वहां पर उसने घटना की कोई सूचना नहीं दी। स्वतः में साक्षी ने कहा कि परिक्षेत्र सहायक रतेड़ा को सूचना दी थी। पैरा क. 07 में साक्षी ने यह बताया है कि उसके द्वारा मोबाईल पर परिक्षेत्र कार्यालय को सूचना दी गयी थी। सूचना रात्रि 12 बजे दी गयी थी। कुशवाह बाबू को फोन पर सूचना दी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय लगभग रात्रि 10:15 बजे मौके पर अंधेरा था। अभियुक्तगण को पहचानने के लिए कोई साधन नहीं था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 12 में साक्षी ने यह बताया है कि अभियुक्त ढीमर और सूरज सबसे पहले उन्हीं के घर के पास मिले जहां पर वे बैठे हुए थे। पैरा क. 13 में साक्षी ने यह बताया है कि घटना स्थल पर अभियुक्त सूरज नहीं था। घटना होने तक सूरज आ गया था। घटना के समय अभियुक्त ढीमर से कोई बातचीत नहीं हुई थी। इस सुझाव को सही बताया है कि जब अभियुक्त ढीमर से विवाद शुरू हुआ तब अभियुक्त सूरज घर पर था। यह भी सही होना बताया है कि हाथ में लाठी होने के बावजूद उसने अपना बचाव नहीं किया। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 14 में साक्षी ने इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह चौकीदार रामलाल का इंतेजार कर रहा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि इंतेजार करते समय कोई शासकीय कार्य नहीं कर रहा था।

10:15 बजे ग्राम लादी में चौकीदार रामलाल के घर के पास अभियुक्तगण ने फरियादी को गश्ती पर जाने से रोका और यह कहा कि उसके द्वारा डोडावानी के यादवो की लकड़ी क्यों पकड़ी गयी और अभियुक्तगण ने लठ से और लात घुसों से मारपीट की। फरियादी तोपसिंह चौहान (अ.सा.–1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह चौकीदार रामलाल के साथ गश्ती के लिए रामलाल के घर से खाना खाकर निकला तभी रास्ते में अभियुक्तगण मिल गये और उसे रोककर मारपीट की। जबिक प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि ६ ाटना के समय वह चौकीदार रामलाल का इंतेजार कर रहा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि घटना स्थल पर अंधेरा था और अभियुक्तगण को पहचानने के लिए कोई रोशनी भी नहीं थी। साथ ही साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना के समय अभियुक्तगण से कोई बातचीत नहीं हुई थी। जबकि अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्तगण ने ग्राम डोडावानी के यादवो की लकड़ी पकड़ लेने पर से फरियादी से विवाद किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 15.02.2009 को ग्राम डोडावानी में लकड़ी पकड़ने के संबंध में जो भी प्रकरण बनाया गया था उस प्रकरण में अभियुक्तगण या उनके कोई भी नातेदार शामिल नहीं थे, न ही इस संबंध में अभियुक्तगण ने घटना के समय कोई बातचीत की थी। साक्षी ने यह भी बताया है कि घटना के समय उसके द्वारा मदद के लिए गांव के किसी भी व्यक्ति को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि अंधेरी रात थी। जबकि मुख्य परीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि चौकीदार रामलाल ने बीच बचाव किया था। साक्षी ने इस सुझाव को भी सही बताया है कि मौके के पास में ही डिप्टी रेंजर का निवास था परंतु उसके द्वारा घटना के संबंध में कोई भी सूचना डिप्टी रेंजर को नहीं दी गयी थी।

फरियादी तोपसिंह चौहान (अ.सा.-1) के पास घटना के समय डंडा था इसके बाद भी उसके द्वारा स्वयं का कोई भी बचाव नहीं किया गया। फरियादी ने अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट करना बताया है परंतु फरियादी के चिकित्सकीय परीक्षण में कोई भी बाहरी चोट नहीं पायी गयी है। उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्तगण के द्वारा किस कारण से फरियादी के साथ विवाद या मारपीट की गयी। अर्थात मारपीट का कोई भी हेत्क दर्शित नहीं हो रहा है। न ही इस संबंध में फरियादी ने कोई कथन किये है। घटना स्थल के पास में ही वन विभाग के डिप्टी रेंजर का निवास स्थान था। इसके बाद भी घटना की सूचना अपने विभाग के अधिकारियों को न दिया जाना अस्वाभाविक प्रतीत होता है। साथ ही फरियादी के द्वारा यह बताया गया कि सबसे पहले मापरीट अभियुक्त ढीमर के द्वारा की गयी थी बाद में अभियुक्त सूरज आया था। फरियादी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त ढीमर के द्वारा उसे लाठी से मारपीट करना बताया है और सूरज के द्वारा झूमा झटकी करना बताया है। जबकि प्रतिपरीक्षण में फरियादी ने अभियुक्त सूरज के द्वारा भी लाठी से मारपीट करना बताया है। घटना के समय अभियुक्त ढीमर वृद्ध होकर 70 वर्ष का था तथा फरियादी तोपसिंह 56 वर्ष का था। ऐसी दशा में फरियादी के हाथ में घटना के समय डंडा होने के बाद भी 70 वर्ष के वृद्ध से स्वयं का बचाव न किया जाना अत्यन्त ही अस्वाभाविक प्रतीत होता है। फरियादी तोपसिंह के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। फरियादी अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है। अभियोजन कथा के अनुरूप भी फरियादी के द्वारा कथन नहीं किये गये हैं। ऐसी दशा में फरियादी की विश्वसनीयता खंडित हो जाती है और अभियोजन कथा में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय प्रश्न क. 08 का निराकरण

17 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी तोपसिंह को शासय उस दिशा विशेष में जाने से निवारित किया जिसमें उसे जाने का विधिक अधिकार प्राप्त था एवं सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी तोपसिंह को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी तोपसिंह जो कि ग्राम बिच्छूखान में फारेस्ट आफिस में बीटगार्ड के पद पर होकर लोक सेवक है, की उस समय जबिक वह लोक सेवक के नाते अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी तोपसिंह को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण ढीमर एवं सूरज को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 294, 332, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

- 18 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 19 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)